न्यायालय जिला कलक्टर नागौर

पीठासीन अधिकारी– दिनेश कुमार यादव, आई.ए.एस.

विविध प्रार्थना पत्र संख्या–08/2019

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
कीर्ति शर्मा जैनियों का मौहल्ला ग्राम पादूकलां तहसील रियांबड़ी जिला नागौर		1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद नागौर 2. विकास अधिकारी पंचायत समिति रियांबड़ी, जिला नागौर 3. सरंपच, ग्राम पंचायत, पादूकलां, पंचायत समिति रियांबड़ी जिला नागौर

आदेश

दिनांक 27-06-2019

एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या–7558/2019 कीर्ति शर्मा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.05.2019 के कम में प्रार्थीया कीर्ति शर्मा जैनियों का मौहल्ला ग्राम पादूकलां तहसील रियांबड़ी जिला नागौर द्वारा यह अभ्यावेदन दिनांक 19.06.2019 को प्रस्तुत किया गया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को दिनांक 19.06.2019 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को इस न्यायालय के पत्रांक–547–549 दिनांक 19.06.2019 से अप्रार्थी संख्या 1 को साधारण डाक से तथा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को रजिस्टर्ड एडी डाक से अभ्यावेदन, अनेक्वर–8 एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.05.2019 की प्रति प्रेषित कर तारीख पेशी 27.06.2019 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर जबाब, दस्तावेजी साक्ष्य सबूत पेश करने के निर्देश दिये गये एवं अनुपस्थित रहने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाने का भी उल्लेख उक्त पत्र में किया गया। उक्त पत्र प्रेषित करने के उपरान्त भी अप्रार्थीगण दिनांक 27.06.2019 को इस न्यायालय में उपस्थित नहीं हुऐ।

एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या–7558/2019 कीर्ति शर्मा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा आदेश दिनांक 30.05.2019 से रेस्पोडेन्टगण को प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन (अनेक्वर–8) को इस आदेश दिनांक 30.05.2019 की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की दिनांक से 60 दिवस में विधि अनुसार सख्ती से आदेश पारित करने के निर्देश दिये गये है।

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत उक्त अभ्यावेदन(अनेक्वर–8) से मुख्यतः ओमाराम माली व राकेश द्वारा जैनियों के मोहल्ले, ग्राम पादूकला तहसील रियांबड़ी में किये गये अनाधिकृत अतिक्रमण को हटाने तथा उक्त भूमि हड़पने वालों से पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करनें आदि के संबंध में निवेदन किया है।

राजस्थान पंचायत नियमावली के नियम 165 के तहत पंचायत को पंचायत की आबादी भूमि में अतिचार, अतिक्रमण आदि हटाये जाने के पंचायत को अधिकार प्राप्त है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 61 के अनुसार पंचायतों के आदेशों की अपील संबंधित पंचायत समिति को प्रस्तुत करने का अधिकार है।

हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थीगण को प्रार्थीया का अभ्यावेदन, अनेक्वर–8 एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.05.2019 की प्रति इस न्यायालय द्वारा उपरोक्तानुसार भिजवाई जा चुकी है।

Scanned by CamScanner

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी संख्या–2 व 3 को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम एवं पंचायती राज नियमावली में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत प्रार्थीया के अभ्यावेदन अनेक्चर–8 पर माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.05.2019 में दिये गये निर्देशानुसार नियत समयावधि में विधि सम्मत आदेश पारित कर नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये जाते है। इस आदेश की प्रति अप्रार्थीगण को पालनार्थ भिजवाई जावे। जहां तक प्रार्थीया ने पर्याप्त सुरक्षा दिलाने का निवेदन किया है, तो उक्त संबंध में विधि सम्मत कार्यवाही हेतु जिला पुलिस अधीक्षक नागौर को भी इस आदेश की प्रति, प्रार्थीया के अभ्यावेदन, अनेक्चर–8 एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.05.2019 की प्रति भिजवाई जावे।

आदेश सुनाया गया।

(दिनेश कुमार यादव)
जिला कलेक्टर नागौर
कलक्टर, नागौर

Scanned by CamScanner